भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1859

दिनांक 11 दिसंबर, को उत्तरार्थ 2025

.....

नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत निधि का आवंटन

1859. श्रीमती शांभवी:

श्री राजेश वर्मा:

श्री अतुल गर्ग:

डॉ. लता वानखेड़े :

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नमामि गंगे कार्यक्रम के आरम्भ से अब तक इसके अंतर्गत कुल कितनी निधि आवंटित और उपयोग की गई है और इसकी प्रमुख परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) गंगा बेसिन राज्यों में निर्मित, पुनः सृजित और प्रचालित कुल सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) क्षमता (एमएलडी में) कितनी है;

(ग) प्रमुख निगरानी स्थलों पर गंगा नदी के जल की गुणवत्ता में, विशेषकर घुलित ऑक्सीजन (डीओ) और फेकल कोलीफॉर्म (एफसी) के स्तर में, कितना सुधार देखा गया है;

(घ) औद्योगिक अपशिष्टों और नालों से नदी में अनुपचारित मल जल के प्रवाह को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, और

(ङ) गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगरों में घाट विकास और नदी-सतह सफाई कार्यकलापों के संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क), (ख) और (घ): नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए शुरुआत से लेकर वित्त वर्ष 2025-26 तक कुल बजटीय आवंटन 26,825 करोड़ रुपए है। वित्त वर्ष 2014-15 से 30 नवंबर 2025 तक की अवधि के दौरान, एनएमसीजी द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा नदी और उसकी

सहायक नदियों के संरक्षण हेतु परियोजनाओं/कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न एजेंसियों को 20,430 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं।

नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत, प्रदूषित नदी क्षेत्रों के उपचार हेतु 34,809 करोड़ रुपए की लागत से कुल 216 सीवरेज अवसंरचना परियोजनाएँ शुरू की गई हैं, जिनकी उपचार क्षमता 6,561 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) है। इनमें से 3,806 एमएलडी क्षमता वाली 138 सीवरेज अवसंरचना परियोजनाएँ पूरी हो गई हैं और चालू हो चुकी हैं।

इसके अलावा, औद्योगिक बहिस्त्राव के निर्वहन को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

1. औद्योगिक प्रदूषण के निवारण हेतु, तीन सामान्य बहिस्त्राव उपचार संयंत्र (सीईटीपी) स्वीकृत किए गए हैं: नामत: जाजमऊ सीईटीपी (20 एमएलडी), बंथर सीईटीपी (4.5 एमएलडी) और मथुरा सीईटीपी (6.25 एमएलडी)। दो परियोजनाएँ, मथुरा सीईटीपी (6.25 एमएलडी) और जाजमऊ सीईटीपी (20 एमएलडी), पूरी हो चुकी हैं;
2. अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) का वार्षिक निरीक्षण: जीपीआई का निरीक्षण वर्ष 2017 में शुरू हुआ। वर्ष 2025 में, निरीक्षण के 8वें दौर में 3,726 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) की सूची बनाई गई। अब तक, 3,726 जीपीआई में से 3,023 जीपीआई का निरीक्षण, टीपीए (8वें दौर) के माध्यम से किया जा चुका है। इनमें से 204 स्वतः बंद पाए गए और 1,347 चालू थे। 1,347 चालू जीपीआई में से 966 अनुपालन करते पाए गए और 381 गैर-अनुपालन वाले पाए गए। गैर-अनुपालन वाले 381 जीपीआई में से 379 जीपीआई को एससीएन जारी किया गया और 2 जीपीआई को बंद करने का निर्देश दिया गया।
3. सीपीसीबी ने लुगदी एवं कागज, चीनी, डिस्टिलरी, वस्त्र और टैनरी जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के परामर्श से चार्टर विकसित किया, जिसके परिणामस्वरूप ताजे पानी की खपत, अपशिष्ट जल निर्वहन और प्रदूषण भार में कमी आई तथा अनुपालन में सुधार हुआ।

(ग): केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), गंगा नदी के पाँच मुख्य धारा वाले राज्यों - उत्तराखंड-19; उत्तर प्रदेश-41; बिहार-33; झारखंड-04; और पश्चिम बंगाल-15 - में 112 स्थानों पर गंगा नदी की जल गुणवत्ता की मैनुअल निगरानी करता है। प्रदूषित नदी खंड (पीआरएस) 2025 पर सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार, गंगा मुख्य भाग के प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध है:

गंगा मुख्य भाग- राज्य-वार तुलना (2018 बनाम 2025)

राज्य	वर्ष 2018 में प्रदूषित खंड	प्राथमिकता (वर्ष 2018)	वर्ष 2025 में प्रदूषित खंड	प्राथमिकता (वर्ष 2025)	प्रचलन/अवलोकन
उत्तराखंड	हरिद्वार → सुल्तानपुर	IV	कोई पीआरएस नहीं	–	सुधार हुआ और पीआरएस खंड को हटा दिया गया
उत्तर प्रदेश	कन्नौज → वाराणसी	IV	बिजनौर → तरीघाट	IV / V	आंशिक रूप से सुधार हुआ
बिहार	बक्सर → भागलपुर	V	भागलपुर डी/एस → खलगाँव डी/एस	V	आंशिक प्रदूषण बकाया है
झारखंड	कोई पीआरएस नहीं	–	कोई पीआरएस नहीं	–	–
पश्चिम बंगाल	त्रिवेणी → डायमंड हार्बर	III	बहरामपुर → डायमंड हार्बर	V	सुधार हुआ

वर्ष 2024 बनाम वर्ष 2025 (जनवरी-अगस्त) के दौरान नदी जल गुणवत्ता के आकलन के आधार पर वर्ष 2024 और 2025 (जनवरी-अगस्त) के घुलित ऑक्सीजन (डीओ), जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) और फेकल कोलीफॉर्म (एफसी) जैसे मापदंडों की तुलना की गई और निम्नलिखित अवलोकन किए गए हैं:

i. वर्ष 2024 और वर्ष 2025 के दौरान सभी तुलना किए गए स्थानों पर स्नान के लिए पीएच (मीडियन) जल गुणवत्ता मानदंडों को पूरा करता हुआ पाया गया है (110 स्थानों की तुलना की गई है)
ii. 89 स्थानों पर डीओ (मीडियन) में सुधार हुआ है (110 स्थानों की तुलना की गई है)
iii. 64 स्थानों पर एफसी (मीडियन) में सुधार किया गया है (110 स्थानों की तुलना की गई है)

(ङ): नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत, वर्ष 2014 से अब तक 240 नदी तटों, 63 शवदाह गृहों और 9 कुंडों/तालाबों के पुनरुद्धार हेतु 83 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 217 नदी तटों, 53 शवदाह गृहों और सभी 9 कुंडों/तालाबों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

नदी सतह की सफाई का काम मुख्य रूप से शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और राज्य सरकारों का दायित्व है। शुरुआत में, प्रायोगिक परियोजना के तौर पर, हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर, मथुरा-वृंदावन, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, साहेबगंज, हावड़ा, नवद्वीप और दिल्ली जैसे 11 स्थानों पर नदी सतह की सफाई परियोजना शुरू की गई थी। यह परियोजना वर्ष 2020 में पूरी हुई। इसके अलावा, नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत वाराणसी में वरुणा नदी सतह की सफाई के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी गई है।

*****